



प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र० (पूर्ववर्ती इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय)

पत्रांक संख्या- पी०आर०एस०यू०/सम्बद्धता/1613/2021

दिनांक- ०७/१०/2021

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा० कुलपति महोदय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक: 24.08.2021 के अनुपालन में सुचिता नन्दन महाविद्यालय, जमुहरा भांट, नारीबारी, प्रयागराज, उ०प्र० को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम के हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्रचीन इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों में एवं स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी०एससी० पाठ्यक्रम के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों की स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2021-22 से सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यह आदेश मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या- 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या: 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक: 30 अप्रैल, 2021 तथा विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक: 13.08.2021 के अनुसार उपलब्ध कराई जाने वाली अद्यतन सूचना के अधीन है।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष की 15 जुलाई तक प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें एवं मानक महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की उपलब्धता तथा निरन्तरता सुनिश्चित की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों की उपलब्धता की जांच कराये जाने पर यदि महाविद्यालय में मानकानुसार शिक्षकों की उपलब्धता नहीं पायी जायेगी तो उस स्थिति में विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि प्रवेशित विद्यार्थियों की फीस के साथ विद्यार्थियों को उपलब्ध प्रवेश/सीटों की रिक्तियों के अनुसार अन्य महाविद्यालय में स्थानान्तरित करने का आदेश दे और विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत ऐसा आदेश सम्बन्धित सभी महाविद्यालयों तथा अन्य पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
5. संस्था की सम्बद्धता अवधि का पुनरीक्षण करने अथवा उसे समाप्त करने का सम्पूर्ण अधिकार कार्य परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।
6. विश्वविद्यालय के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहने पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद महाविद्यालय की सम्बद्धता का प्रत्याहरण कर सकती है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद किसी भी समय किसी भी महाविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करा सकती है। ऐसी निरीक्षण का शुल्क महाविद्यालय को देना होगा तथा अपनी संस्था को आकस्मिक निरीक्षण के लिए सदैव खुला रखना होगा तथा निरीक्षक/निरीक्षक मण्डल द्वारा मांगी गई सभी सूचनाओं को उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
7. संस्था सदैव अपने यहाँ राज्य सरकार/यू०जी०सी०/विश्वविद्यालय तथा अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं तथा शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित रखेगी। शिक्षकों की अनुपलब्धता पाए जाने पर यह मानते हुए कि संस्था में विधिसम्मत तरीके से पठन-पाठन नहीं हुआ है, विश्वविद्यालय संस्था के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं करायेगा।
8. अल्पसंख्यक संस्थाएं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नीति, अध्ययन नीति, पाठ्यचर्या तथा संस्था के उत्तम प्रबन्ध के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों तथा निर्गत मानकों का अनुपालन करेगी। महाविद्यालयों के Mismanagement तथा maladministration की दशा में विश्वविद्यालय महाविद्यालय की जांच करा सकेगा तथा जांच आख्या पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद का निर्णय अल्पसंख्यक संस्था पर बाध्यकारी होगा।
9. महाविद्यालय अपने यहाँ ऑनलाइन तथा ऑफलाइन क्लासेज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा नई शिक्षा नीति का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार करेंगे।
10. महाविद्यालय अपने यहाँ लैंगिक भेदभाव निवारण समिति का गठन यू०जी०सी० के प्राविधानों के अनुसार कर उसकी प्रतिलिपि विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
11. महाविद्यालय अपनी Website का निर्माण कर उस पर महाविद्यालय की भूमि, उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं, शिक्षकों के अनुमोदन पत्र व उनके नाम, स्थायी तथा स्थानीय पता सहित, विद्यार्थियों की कक्षावार सूची, महाविद्यालय के परीक्षा



प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०
(पूर्ववर्ती इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय)

परिणाम आदि सभी का विवरण इस पत्र के निर्गमन की तिथि से 01 माह में Website पर Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

12. महाविद्यालय में यू0जी0सी0/विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार निर्धारित शैक्षिक दिवसों की पढाई प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करनी होगी, इसके लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार अतिरिक्त क्लासेज लगाकर उक्त की पूर्ति करना अनिवार्य है।
13. महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेतन शिक्षकों को देना होगा।
14. सम्बद्धता शर्तों के उल्लंघन पर सम्बद्धता प्रत्याहरण किया जायेगा।

Ashulee
(एस0 के0 शुक्ल)
कुल सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य सुचिता नन्दन महाविद्यालय, जमुहरा भांट, नारीबारी, प्रयागराज, उ०प्र०।
4. निजी सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. कुलसचिव कार्यालय।
6. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय।
7. सहायक कुल सचिव (सम्बद्धता)।
8. विश्वविद्यालय की कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराए जाने हेतु।

Ashulee
कुल सचिव।